<u>न्यायालय, अवर न्यायाधीश, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर</u>

<u>हकियत वाद–21/2023</u>

विमल कुमार विमल वगैरह...............................वादीगण

बनाम

मणिमाला देवी..प्रतिवादी

<u>18.09.25</u> अभिलेख आज वादी की ओर से प्रदर्श करने के लिए आदेश दिनांक–06.03.2025 को वापस लेने हेतु दाखिल आवेदन दिनांक–19.03.2025 पर सुनवाई पश्चात् आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान एकपक्षीय रूप से अग्रसारित है।

वादी ने अपने आवेदन में निवेदन किया है कि वर्तमान वाद में वादी की ओर से कवल में ही अपने वाद के समर्थन में कुछेक कागजात दाखिल किया गया था जिसे प्रस्तुत वाद के निराकरण हेतु प्रदर्श होना न्यायहित में आवश्यक है, परन्तु दिनांक–06.03.2025 को ही वादी का साक्ष्य बन्द हो गया है, जिसे खुलकर प्रार्थी द्वारा दाखिल कागजात प्रदर्श होना न्यायहित में आवश्यक है। अतः निवेदन है कि न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक–06.03.2025 को वापस लेते हुए प्रार्थी द्वारा दाखिल कागजात को प्रदर्श अंकित करने की कृपा की जाए।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वर्तमान वाद में दिनांक–06.03.2025 को वादी साक्ष्य बन्द किया गया तत्पश्चात् अभिलेख बहस हेतु नियत किया गया, परन्तु वादी ने अपने आवेदन में पूर्व से दाखिल दस्तावेज को प्रदर्श अंकित कराने हेतु उपरोक्त आदेश को वापस लेने का निवेदन किया है जो वाद के अंतिम न्याय–निर्णयन हेतु न्यायोचित प्रतीत होता है, चूँकि आवेदन स्वीकृत करने से विलंब कारित होगा। तद्नुसार वादी द्वारा दाखिल उपरोक्त आवेदन को मो0 500/– रुपये खर्च बिहार सरकार को अदा किए जाने के शर्त के साथ स्वीकृत किया जाता है तथा आदेश दिनांक–06.03.2025 को वापस लेते हुए अभिलेख पुनः वादी साक्ष्य हेतु नियत करते हुए वादी को सभी दस्तावेजों को प्रदर्श अंकित करने का निर्देश दिया जाता है। **कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि उपरोक्त आदेश के आलोक में आवेदनांकित दस्तावेजों को संबंधित अधिवक्ता की उपस्थिति में कमवार प्रदर्श अंकित करें।**

वाद दिनांक–17.12.2025 वास्ते पुनः वादी साक्ष्य हेतु।

सिविल जज सि0डि0,
शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर।